



प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत कानपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत कानपुर क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 899.62 लाख (रूपये आठ करोड़ निम्नान्वे लाख बॉसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20924/CE-SEB/RYB/KNP /2026-27 Dt- 29-04-2026	नि.ख.-1 इटावा	जनपद इटावा में सुमेर सिंह किला मार्ग से शमशानघाट मार्ग पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1X6 मी० आर०सी०सी० बॉक्स कलवर्ट का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य।	336/2025/आई/1140 539/2025/23-6099 / 182/2025-दिनांक-1 2-11-2025	139.95 138.98 1.99 136.99	69.98	67.01	47.39	12.76	60.15
2	तदैव	नि.ख.-1 कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में एन०एच०-2/19 से पतारी दुर्वाषा ऋषि आश्रम निगोही बरौर गुडगांव मार्ग के किमी० 6 में 2x5 मीटर स्पान का बाक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	336/2025/आई/1140 539/2025/23-6099 /182/2025-दिनांक-1 2-11-2025	142.11 137.71 0.00 137.71	71.06	66.65	50.35	13.56	63.91
3	तदैव	नि.ख.-1 कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में चपरघटा सिहारी कुम्भापुर से पथार मार्ग के किमी० 1 में 2 x 5 x 5 मी० के लघु सेतु का निर्माण कार्य।	357/2025/आई/1150 304/2025/23-6099 /200/2025-दिनांक-2 1-11-2025	110.05 108.87 0.00 108.87	51.15	57.72	42.04	11.32	53.36
4	तदैव	नि.ख.-1 कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में यमुना नदी के मध्य खरका घाट एवं दाहरखण्ड (जालौन) के मध्य पीपे के पुल का निर्माण कार्य।	114/2026/आई/1271 478/2026/23-6099 /110/2026-दिनांक-1 8-03-2026	242.21 242.21 0.01 242.20	2.32	239.88	179.46	48.31	227.77
5	तदैव	प्रा.ख. कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में मुगल मार्ग से बधौली की रसधान डेरापुर मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी०-12 में 1 गुणा मीटर स्पाँन आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	323/2025/आई/1133 487/2025/23-6099 /190/2025-दिनांक-0 5-11-2025	78.26 78.26 0.05 78.21	39.13	39.08	15.76	4.24	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	21008/ CE-SEB/RYB/KNP/ 2026-27 Dt- 30-04-2026	नि.ख. -1 इटावा	देवीपुरा से रूरा मार्ग पर आर०सी०सी० की पुलिया निर्माण का कार्य।	344/2025/आई/1145 165/2025/23-6099/ 178/2025-दिनांक-17-11-2025	100.37 100.37 1.15 99.22	80.19	19.03	14.99	4.04	19.03
7	तदेव	नि.ख. औरैया	जनपद औरैया में ऐरवाकटरा कुदरकोट मार्ग के कि०मी०-1 से सुमियानी कुदरकोट बाया राजपुर बल्लपुर (अलोपा देवी मंदिर) मार्ग पर सेतु निर्माण कार्य।	89/2025/675/23-6 099(099)/14/2025- दिनांक-07-03-2025	630.05 611.21 51.73 559.48	103.97	455.51	78.79	21.21	100.00
8	21024/CE-SEB/RYB/KNP/ 2026-27 Dt- 30-04-2026	प्रा.ख. कन्नौज	संयोगिता मार्ग से बदनापुर गंगाघाट सम्पर्क मार्ग पर पुल/पुलिया का निर्माण कार्य।	302/2025/आई/1127 658/2025/23-6099 /172/2025-दिनांक-30-10-2025	41.18 41.18 0.44 40.74	20.59	20.15	12.13	3.27	15.40
9	तदेव	प्रा.ख. कानपुर देहात	मुगल मार्ग से भाल गुबार मार्ग (अ०जि०मा०) के कि०मी०-3 (नहर) पर 1 गुणा 6 मी० स्पान के लघु सेतु का पुनर्निर्माण कार्य।	309/2025/आई/1127 543/2025/23-6099 (099)/280/2025-दिनांक-30-10-2025	85.98 82.90 0.00 82.90	1.03	81.87	31.52	8.48	40.00
10	तदेव	प्रा.ख. कानपुर देहात	जनपद कानपुर में ताजपुर तरसौली मार्ग कि०मी०-3 (महेन्द्र नगर के पास) सियारी नाला में 3 गुणा 4 मी० स्पान का लघु सेतु का पुनर्निर्माण कार्य।	323/2025/आई/1133 487/2025/23-6099 /190/2025-दिनांक-05-11-2025	199.71 189.13 0.02 189.11	4.03	185.08	78.79	21.21	100.00
11	तदेव	प्रा.ख. कानपुर देहात	लखनऊ इटावा मार्ग (राज्य मार्ग-40) के कि०मी०-131 (पश्चिमी इलाहाबाद नहर शाखा केनाल) पर 7 गुणा 4.15 मीटर स्पान के लघु सेतु का पुनर्निर्माण कार्य।	344/2025/आई/1145 165/2025/23-6099/ 178/2025-दिनांक-17-11-2025	432.88 404.41 0.00 404.41	54.65	349.76	157.58	42.42	200.00
कुल योग								708.80	190.82	899.62

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। **यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो उक्त आवंटन में से अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।**

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 7,08,80,000 (रुपये सात करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,90,82,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।